भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाकघर- केट

इन्दौर - 452013

विज्ञापन संख्या. आरआरकेट-1/2014	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि : **21.03.2014**

निम्नलिखित पद की भर्ती हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते है

पद का नाम	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (चिकित्सा अधिकारी) (सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी)
पदों की संख्या	एक (01)(अपिव के लिए आरक्षित)
आयु	38 वर्ष से अधिक नहीं
नियुक्ति का स्थान	आरआरकेट, इन्दौर
शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	एक वर्ष के संस्थागत अनुभव के साथ एम.बी.बी.एस. । अनिवार्य इंटर्नशीप अनुभव के रूप में नहीं गिनी जाएगी । स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदक आवेदन नहीं करें ।
वांछनीय	केजुअलटी अनुभव वाले तथा जीडीएमओ/सामान्य प्रेक्टिस के रूप में कार्यरत आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी । साधारण कंप्यूटर ज्ञान जानने वाले को प्राथमिकता ।
कार्य का विवरण:सामान्य ड्यूटी	1) सभी आयु समूह वाले रोगियों को देखना एवं बाह्य स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना ।
	2) नित्यचर्या की बीमारियां, पुरानी बीमारियां जैसे डायबीटिज मेलीटस, हायपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिसीज, टयूबरकूलोसिस, एपीलेप्सी आदि को देखना ।
	3) पुरानी बीमारियों की नियमित देखरेख के साथ रोगियों का फॉलो'अप तथा जब भी आवश्यक हो रेफरेंस के लिए अस्पताल भेजना ।
	4) डिस्पेंसरी में अपातकालीन प्रबंधन तथा यदि आवश्यक हो तो थोड़ा सुधार होने पर अस्पलाल भेजना ।
	5) कंप्यूटर पर डाटा एंट्री करना जिसमें जनरल केस नोट, डायगनोसिस, ऑन लाइन प्रिस्क्रिप्सन, सर्विस आर्डर भरना, एपांयटमेंट आदि शामिल हैं ।
	6) वेलबेबी क्लिनिक, एंटीनेटल क्लिनिक, स्क्रीनिंग प्रोग्राम तथा शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता शामिल है ।

वेतनमान तथा कुल परिलब्धियां (वर्तमान दरों के अनुसार)

पद का नाम तथा वेतनमान	प्रारंभिक वेतनमान		
वैज्ञानिक अधिकारी/सी (चिकित्सा अधिकारी) पीबी-3, ₹ 15600-39100/- तथा ग्रेड वेतन ₹ 5400/- + प्रैक्टिसबंदी भत्ता	वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड वेतन	समस्त भत्तों को मिलाकर कुल परिलब्धियां (लगभग)
	₹ 15600/-	₹ 5400/-	₹ 58,000/-

अतिरिक्त वित्तीय लाभ

नियमों के अंतर्गत यथा देय सामान्य वेतन और भत्तों के अतिरिक्त अर्थात् मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता आदि के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत आकर्षक वित्तीय लाभ पाने के हकदार हैं । ये लाभ विभाग की विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं और सरकार द्वारा इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

आवेदकों की जानकारी के लिए सामान्य शर्तें

1. दिनांक ------ को आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष । आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि : -----------

आवेदक की श्रेणी	अधिकतम आयु (वर्ष में)	आयु में छूट हेतु शर्तें
अन्य पिछड़ा वर्ग	38	जाति प्रमाण पत्र गैर क्रीमी लेयर हेतु केन्द्र सरकार रोजगार के लिए लागू निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए और अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूचियों में शामिल होनी चाहिए । अपिव के लिए आयु में छूट और आरक्षण के उद्देश का अर्थ होगा " अपिव श्रेणी के व्यक्ति क्रीमी लेयर के नहीं है" जो भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/1993 कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) और भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09/03/2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-स्थापना (आरक्षण) तथा दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-स्थापना (आरक्षण) तथा दिनांक 27.05.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/1/2013-स्थापना (आरक्षण) के तहत संशोधित में यथा परिभाषित है ।
जम्मू एवं कश्मीर के कश्मीर संभाग में अधिवासित व्यक्तियों के लिए	43	उन सभी व्यक्तियों को उच्च आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की स्वीकृति रहेगी जो 1 जनवरी 1980 के दिन से 31 दिसंबर, 1989 तक के दिन की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य के कश्मीर डिविजन में साधारणत: निवास करते थे परन्तु किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए उच्च आयु सीमा में छूट सम्बद्ध नियमों के अंतगर्त अनुज्ञेय अधिकतम अवसरों की शर्तों पर होगी । **निवास सबूत के संबंध में प्रमाणपत्र**- (क) कश्मीर डिविजन के जिला मजिस्ट्रैट का प्रमाण-पत्र कि वे उस क्षेत्र में निवास करते थे । अथवा (ख) जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा इसके लिए पदनामित अन्य कोई प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि वे एक जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 तक के दिन की अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर डिविजन में साधारणत: निवास करते थे ।

भूतपूर्व सैनिक	सरकारी आदेश के अनुसार लागू होगा	भूतपूर्व सैनिक का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ-सेना, वायु सेना के अंतर्गत किसी भी रैंक में सेवा की हो चाहे वह यो)ा हो अथवा अयो)ा और i) जो इस प्रकार की सेवा से अपनी पेंशन लेने के बाद सेवानिवृत्त हुए हो । इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जो पेंशन लेने के बाद सेवानिवृत्त हुए हों अथवा ii) जिन्हें ऐसी सेवा से सैनिक सेवा उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर कार्य मुक्त किया गया हो और चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की गई हो । iii) जिन्हें स्थापना में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से उनके अपने अनुरोध के अलावा कार्यमुक्त किया गया हो अथवा iv) जो अपने इस अनुरोध के अलावा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अथवा बरखास्तगी के कारण ऐसी सेवा से मुक्त किया हो अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और उपदान (ग्रैज्यूटी) प्रदान की गई हो और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक भी शामिल हैं । (क)लगातार मूर्त सेवाओं हेतु पेंशन धारक (ख)सैनिक सेवाओं के कारण हुई अशक्तता हेतु पेंशन (ग) वीरता पुरस्कार विजेता ।
1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्य	अपिव – 43 वर्ष	इस आशय का सबूत प्रस्तुत करना होगा कि 1984 के दंगों में वे प्रभावित हुए थे ।
विभागीय अभ्यर्थी (केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए)	अपिव – 43 वर्ष	समान संवर्ग अथवा संबंधित संवर्ग में कम से कम तीन वर्ष की लगातार/नियमित सेवा पूरी की हो ।

2. आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे विज्ञापन में लिखी सभी पात्रता की शर्तो को पूरा करते हैं। उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र में प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों में रखा जाएगा । भर्ती प्रक्रिया के अन्तिम चरण से पूर्व आवेदन-पत्रों की केवल सरसरी तौर पर जाँच की जाएगी तथा भर्ती प्रक्रिया के अन्तिम चरण के समय उम्मीदवारों की पात्रता की विस्तृत जाँच की जाएगी । अत: आवेदन की विस्तृत जाँच होने तथा आवेदक को सभी प्रकार से पात्र पाए जाने तक आवेदक की उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी । यदि उम्मीदवार उक्त पद के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो आरआरकेट को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार होगा । उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में आरआरकेट का निर्णय अंतिम होगा । केवल उम्मीदवार को बुलावा-पत्र जारी करने तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अनुमति देने मात्र से यह नहीं माना जाएगा कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई है या आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित जानकारियों को सत्य और सही मानकर स्वीकार कर लिया गया है ।

3. साक्षात्कार आरआरकेट इन्दौर में आयोजित किया जाएगा । बाहर के स्थानों से साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को रेल/बस की टिकटें प्रस्तुत करने पर लघुतम मार्ग से आने-जाने का शयनयान श्रेणी के रेल किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते वे केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/स्थानीय शासन/पंचायत आदि में कार्यरत नहीं हैं ।

4. इस विज्ञापन के तहत चयनित किये गये उम्मीदवारों को इंदौर में तैनात किये जाने की संभावना है, लेकिन वे भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

5. उपरोक्त दर्शाई गई रिक्तियाँ अस्थाई हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है । विज्ञापन में दर्शाए गए रिक्त पद भी सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से भरे जाएंगे और यदि निर्णय लिया गया तो पद न भी भरे जा सकते हैं, अन्यथा समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों की शर्ते लागू रहेंगी । इस विज्ञापन में दर्शायी गई रिक्तियों के अलावा, भविष्य की रिक्तियां तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयों की रिक्तियां, जो कि पेनल बनाने के बाद आ सकती है, को भी पेनल की वैधता अवधि के रहने तक इस विज्ञापन से तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा ।

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन-पत्र की एक प्रति विज्ञापन में दिये गये प्रपत्र के अनुसार ए 4 आकार के पेपर में प्रस्तुत करना चाहिए । आवेदन-पत्र टंकित हो तो अच्छा रहेगा ।

जो उम्मीद्वार ऑन-लाइन आवेदन करना चाहते है, वे कृपया वेबसाइट http://www.rrcat.gov.in देखें तथा नीचे लिखा अनुदेश नं 10 सावधानीपूर्वक पढें । ऑन -लाइन आवेदन, आवेदन प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह पूर्व बंद हो जाएगा ।

2. आवेदन-पत्र और लिफाफे पर नीचे दिये गये अनुसार लिखा होना चाहिए ।

पद के लिए आवेदन-पत्र	पद कोड	पद

3. **फोटोग्राफः** मूल आवेदन-पत्र के दाहिने हाथ के ऊपरी कोने पर पासपोर्ट आकार का स्वसत्यापित नवीनतम फोटो चिपकाना चाहिए।

4. **प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियाँ :** उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अंकतालिकाओं/प्रमाण-पत्रों की एक-एक सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करनी चाहिए :
   - क) शैक्षिक योग्यताएँ ।
   - ख) जन्म-तिथि
   - ग) उनका दावा कि वे अपिव/भूतपूर्व सैनिक है ।
   - घ) अनुभव, विशेषरूप से किए गए कार्य का उल्लेख करते हुए ।

5. **नोट :** (क) केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने आवेदन-पत्र उचित माध्यम से भेजना चाहिए । तथापि वे अपने आवेदन-पत्र की एक अग्रिम प्रति ऊपर लिखे संलग्नकों के साथ नीचे दिये गये पते पर भेज सकते हैं । **अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।**

(ख) पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन-पत्र निम्नलिखित पते पर भेजे जाने चाहिए :-

प्रशासनिक अधिकारी -III
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र,
परमाणु ऊर्जा विभाग,
डाक घर : केट, इन्दौर-452 013.

6. **चेतावनी :** ऐसे आवेदन-पत्र, जो विज्ञापन में उल्लेखित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं - अर्थात् आवेदन-पत्र, जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं, जिसके साथ पासपोर्ट आकार का स्वसत्यापित फोटो तथा प्रमाण-पत्रों की सत्यापित जेराक्स/फोटो प्रतियाँ संलग्न नहीं है, अ**स्वीकार किये जाने की संभावना है ।**

7. विज्ञापन में दर्शाई गई जरूरतों को सिर्फ पूर्ण करने से ही प्रत्याशी साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं हैं ।

8. साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयनित नहीं होने वाले उम्मीदवारों से किसी भी तरह का पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

9. आरआरकेट के पास बिना किसी कारण बताए पद को भरने के लिए या भर्ती की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है ।

10. ऑन -लाइन आवेदन करने वाले उम्मीद्वार आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति (ऑन लाइन सॉक्टवेयर का उपयोग कर तैयार की गई) उपर्युक्त अनुदेश नं. 5 (ख) में लिखित पते पर संबंधित प्रमाण-पत्रों की प्रतियों के साथ अवश्य भेजें । इस आवेदन की हार्ड प्रति आवेदन प्राप्ति की तिथि को या इससे पूर्व अवश्य पहुचं जानी चाहिए ।

11. किसी भी प्रकार के प्रभाव/सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा ।

12. " सरकार एक ऐसे कार्यदल बनाने का प्रयास कर रही है जो लिंग समानता को प्रतिबिंबित करे तथा महिलाओं को आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करे ।"

13. अचयनित उम्मीद्वारों के रिकार्ड चयनित सूची तैयार करने की तिथि से 6 माह बाद नहीं रखे जाएंगे ।